राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

धुणीलाल बनाम बाबूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
511/2019		
26/11/2025	~~पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित।~~ अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 23/12/2025 को पेश हो।	
23/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/12/2025 को पेश हो।	
26/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 12/09/2019 पारित करते हुए वादीगण का वाद पत्र बाबत दुरुस्ती इन्द्राज एवं घोषणा खातेदारी हक़ एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत खसरा नम्बर 1069/0.49 वाके ग्राम भाबरू पटवार हल्का, तहसील विराटनगर ख़ारिज कर खसरा नम्बर 1047 व 1070 पहले से ही वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होना एवं प्रतिवादीगण का प्रति दावा बाबत बंटवारा खसरा नम्बर 1047, 1067, 1068, 1069 व 1070 ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सबूत का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12/09/2019 में कोई त्रुटी जाहिर नही होने से उन्हें यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	